



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 777 वर्ष 2026

सलमानआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : मोहित कुमार सिंह, सुजाता चौधरी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. सुश्री सुजाता चौधरी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 216 वर्ष 2025, धाराओं 190, 191(2), 191(3), 103(1) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25/27 के अंतर्गत, थाना - नौचंदी, जिला - मेरठ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त शुएब को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 43602 वर्ष 2025 में दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 20.6.2025 से जेल में बंद है। वर्तमान प्रकरण के पश्चात उस पर थोपे गए एक मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर मिथ्या बरामदगी थोपी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि चूँकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता तथा आवेदक के कोई पूर्व आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास न होने के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा परस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने समता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
7. उक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक - **सलमान** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों के पहचान, हैसियत एवं निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

विकास वर्मा